राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

क्रमांक :सखअ / समा / 2019 / 52 दिनांकः– 10-5-19

सेवामें,

अधीक्षण खनि अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
भरतपुर।

विषय– राजस्थान पत्रिका में दिनांक 01.03.2019 को प्रकाषित समाचार ''पहाड का सीना छलनी करने के लिये धमाके चिड़चिडे हो रहे बाघ'' के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी के भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः–आपके पत्र क्रमांक अखअ / भरत / अवैध / 2019 / 1630 दिनांकः–12.03.2019 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्तविषान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका दिनांक 01.03.2019 को प्रकाशित समाचार ''पहाड का सीना छलनी करने के लिये धमाके चिड़चिडे हो रहे बाघ'' के संबंध में निवेदन है कि उक्त पहाड़ रणथम्भोर नेशनल टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हेवीटेट(सीटीएच) में आता हैं। उक्त पहाडी में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी वन विभाग की है। फिर भी समय–समय पर वन विभाग के नेतृत्व में खनिज विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा समय–समय पर कार्यवाही की जाती है। सी टी एच से शहर से बाहर जाने वाले मार्ग एवं सवाई माधोपुरषहर में समय समय पर कार्यवाही की गई है।नवम्बर 2013 से आज तक 27 प्रकरणों में राषि 9.87 लाख रू वसूली गई है।भविष्य में और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उक्त ग्राम का पहाड़ जी टी सीट संख्या 54बी / 8 में आता है जो कि सीटीएच दिखा रखा है।

भवदीय

(मनोज कुमार)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सवाई माधोपुर